

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 541 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2022—आश्विन 8, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2022

CT-8-0001-2022-Sec-1-05(CT) (62),—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022) की धारा 1 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, 01 अक्टूबर, 2022 को उस तारीख के रूप नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 13 को छोड़कर धारा 2 से 15 के उपबंध प्रवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2022

क्रमांक CT-8-0001-2022-Sec-1-05(CT).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0001-2022-Sec-1-05(CT) (62), दिनांक 30 सितम्बर, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 30<sup>th</sup> September 2022

No. CT-8-0001-2022-Sec-1-05-(CT) (62).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2022 (15 of 2022), the State Government, hereby appoints the 1<sup>st</sup> Day of October, 2022, as the date on which provisions of Sections 2 to 15, except Section 13, of the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

1081